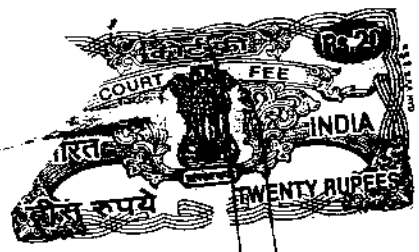

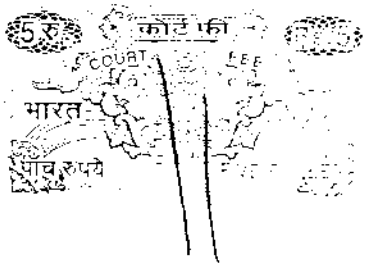

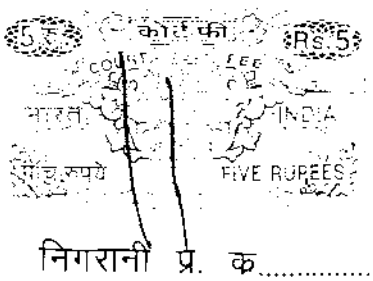

निगरानी प्र. क..................

प्रस्तुती दिनांक :16/4/2014

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर केम्प, इन्दौर

R. 1344-PBR/14

1. श्रीमती मीराबाई पति लीलाधर पालीवाल,
   आयु – 69 वर्ष, व्यवसाय – गृहकार्य,
   निवासी – 144, देवी अहिल्या मार्ग,
   (पुराना नं. 114, जेलरोड़), इन्दौर म.प्र.
2. मनोज पिता लीलाधर पालीवाल,
   आयु – सदर

-- प्रार्थीगण

विरूद्ध

1. ब्राईट कोल्ड स्टोरेज प्रा.लि.
   पता–112–ए, बंसी ट्रेड सेंटर,
   आर.एस. भण्डारी मार्ग, इन्दौर
2. दि जम्मू एण्ड काश्मीर बैंक लिमि.,
   शाखा कार्यालय – डायमंड ट्रेड सेंटर
   न्यू पलासिया, इन्दौर म.प्र.

-- प्रतिप्रार्थीगण

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959

यह पुनरीक्षण याचिका विद्वान अधिनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी कस्बा इन्दौर के द्वारा प्रकरण कमांक 80/अपील/12–13 में दिनांक 27.01.2014 को पारित आदेश से व्यथित एवं दुखित होकर प्रार्थीगण माननीय न्यायालय के समक्ष निम्नानुसार सादर प्रस्तुत करते हैं :–

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R 1344–पीबीआर/2014 जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारो एवं अभिभाषको आदि के हस्ताक्षर
22–5–2014	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 27–1–2014 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि आवेदक की ओर से तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 30–5–2011 के विरूद्ध प्रथम अपील दिनांक 28–3–2013 को लगभग 22 माह से भी अधिक विलंब से प्रस्तुत की गई है और विलंब का कारण आदेश की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 5–2–2012 को होना दर्शाया गया है । इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निकाला गया निष्कर्ष विधिसंगत है कि चूँकि नीलामी की कार्यवाही सरफेस एक्ट के अंतर्गत की गई थी और प्रश्नाधीन भूमि जम्मू एवं कश्मीर बैक के पास बंधक थी । ऐसी स्थिति में सरफेस एक्ट में नीलामी आदेश पारित होने के समय निश्चित ही आवेदकगण को सुनवाई का अवसर दिया गया होगा। तहसील न्यायालय के इसी आदेश के विरूद्ध अपील प्रकरण कमांक 81/अपील/12–13 प्रचलित है, जिसमें तहसील न्यायालय का मूल रिकार्ड संलग्न है । आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत अपील एवं अन्य प्रचलित अपील का एक ही प्रकरण है । उक्त प्रकरण में अंतिम आदेश पारित होने के दिनांक 30–5–2011 पर दोनों पक्षकारों के हस्ताक्षर है । इससे भी स्पष्ट है कि आवेदकगण को तहसील न्यायालय के आदेश की जानकारी आदेश पारित होने के दिनांक से ही थी, अतः विलंब का कारण विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है । उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी	

द्वारा आवेदकगण की अपील अवधि बाह्य मानकर निरस्त करने में प्रथम दृष्टया विधिसंगत कार्यवाही की गई है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष